न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ जिला चूरू

बइजलास पंकज गढ़वाल (आर. ए. एस.)

प्रार्थना पत्र सख्ंया : 14 सन् 2021

निर्णय दिनांक - 09.04.2021

हरदयाल सिंह आयु 82 साल पुत्र श्री ईशर जाति जाट निवासी ग्राम भाकरा तहसील राजगढ़ जिला चूरु, मोबाईल संख्या - 9610314848

-- प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, राजगढ़ जिला चूरू

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्त. धारा 111, 128 भू राजस्व अधि.

उपस्थिति -

विद्वान अधिवक्ता श्री विजय सिंह मित्तड़ वास्ते प्रार्थी

पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी पैमाईश व पत्थरगढ़ी अन्त. धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का इस न्यायालय में दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खाता संख्या 124 खसरा संख्या 400/354 तादादी 0.61 हैक्टेयर रोही मौजा ग्राम भाकरा तहसील राजगढ़ जिला चूरु में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी एकमात्र खातेदार, काबिज काश्तकार है, यही विवादित भूमि है। प्रार्थी के उक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की खसरा की कृषि भूमि के चिपते पूर्वी तरफ रास्ता व खसरा संख्या 401/354 व खसरा संख्या 370 रोही ग्राम भाकरा अवस्थित है। प्रार्थी व उक्त पड़ौसी खातेदारान की कृषि भूमियों के बीच में पुख्ता सीमा चिन्ह् थे, जो पडौसी खातेदारान द्वारा प्रायःकर समाप्त से कर दिये गये हैं। प्रार्थी अपने पुराने कब्जे काश्त पर ही काश्त करते आ रहा है, जबकि पड़ौसी खातेदारान पुराने सीमा चिन्ह् नष्ट कर प्रार्थी के उक्त कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत व उसके रकबे को जबरन अपने खेत में मिलाना चाहते हैं, जिस कारण वर वक्त काश्त प्रार्थी व उक्त पूर्वी दिशा के खेत पडौसी खातेदारान के मध्य सीमा विवाद रहता है। वादगत कृषि भूमि के पूर्व दिशा में चिपते खेत पडौसी खसरा संख्या 401/354 व खसरा संख्या 370 रोही ग्राम भाकरा के खातेदारान धन और बल में काफी ताकतवर और और राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली हैं, जो हर समय प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 124 खसरा संख्या 400/354 तादादी 0.61 हैक्टेयर रोही मौजा ग्राम भाकरा तहसील राजगढ़ जिला चूरु की सीमाओं को लेकर प्रार्थी से विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी की उक्त खसराजात की कृषि भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह् प्रायःकर समाप्त से होने के कारण प्रार्थी को पडौसी खातेदारान काश्त नहीं करने दे रहे हैं। प्रार्थी द्वारा पडौसी खातेदारान को पुख्ता पैमाईश चिन्ह् से पैमाईश कर प्रार्थी की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सीमाओं पर स्थाई चिन्ह् लगवाने व पैमाईश करवाने को बार बार कहा व कहलवाया कहा तो पडौसी खातेदारान व अप्रार्थी आजकल आजकल करते रहे

आखिर में दिनांक 26.01.2021 को ऐसा मानने से बमुकाम ग्राम भाकरा तहसील रा जिला चूरु में साफ इन्कार कर दिया जिस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा, आदि आ अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अनुतोष चाहा।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पक्ष को नियमानुसार किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई खंड़न प्रस्तुत नहीं किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्र जमाबंदी से वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की होना प्रमाणित है। प्र पैमाईश करवाकर अपने खातेदारी की भूमि के पुख्ता सीमा चिह्न पैमाईश के मुताबिक क करवाकर पत्थर गढ़ी करवाए जाने के सम्बंध में है। प्रार्थी द्वारा सीमा विवाद होना अंकित कि गया है, ऐसे में मौका पर प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि की पैमाईश करवाकर पत्थर करवाया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 124 खसरा संख्या 400/354 तादादी 0.61 हैक्टेयर रोही मौजा भाकरा तहसील राजगढ़ जिला चूरु की तमाम सीमाओं की पुख्ता पैमाईश चिन्ह से पैमा पक्षकारान की उपस्थिति में योग्य पटवारियों की टीम से करवाई जाकर पूर्वी दिशा की सीमा पुख्ता निशानदेही दी जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह/पत्थरगढ़ी कायम किये जाने के आदेश दिया ज न्यायोचित्त प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी योग्य पटवारि की टीम गठित करके रोही ग्राम भाकरा तहसील राजगढ़ जिला चूरु अवस्थित प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 124 खसरा संख्या 400/354 ताद 0.61 हैक्टेयर की मौका पर चौतरफा सीमाओं की पुख्ता पैमाईश चिन्ह से पैमाईश पक्षकार की उपस्थिति में की जाकर सीमाओं की पुख्ता निशानदेही दी जाकर पूर्वी दिशा की सीमा पुख्ता निशानदेही दी जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह/पत्थरगढ़ी कायम करवाये जावें। तहसीलदार राज को हिदायत दी जाती है कि वह आदेश की पालना करवाकर जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत क पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.4.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुना गया।

उपखण्ड अधिका
राजगढ़ (चूरु)
राजगढ़ (चूरु